संख्या : 25/2018/538/छप्पन-2018-100/2013

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 21 मार्च, 2018

विषय: जनपद बरेली में भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु भूमि क्रय के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 963/ना0उ0नि0/2018, दिनांक 19 मार्च, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा बरेली स्थित भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल ऐन्क्लेव के निर्माण हेतु 7.183 एकड़ (2.9070 हैक्टेयर) भूमि के क्रय किए जाने हेतु रू0 8,21,95,600/- (रूपए आठ करोड़ इक्कीस लाख पन्चानवे हजार छः सौ मात्र) पर प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- जनपद बरेली में भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु ग्राम मुडिया, अहमदनगर एवं चावडू स्थित निजी भू-स्वामियों की कुल 13.395763 हैक्टेयर भूमि क्रय किए जाने हेतु धनराशि रू0 60,88,73,832/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- सम्प्रति निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्तावानुसार जनपद बरेली में भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु अवशेष 7.183 एकड़ भूमि को राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 19 मार्च, 2015 में विहित व्यवस्था के अनुसार आपसी समझौते से वर्तमान में प्रभावी मूल्य के आधार पर कुल 7.183 एकड़ (2.9070 हैक्टेयर) भूमि के क्रय हेतु रू0 8,21,95,600/- (रूपए आठ करोड़ इक्कीस लाख पन्चानवे हजार छः सौ मात्र) पर श्री राज्यपाल प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदान करते हुए धनराशि रू0 8,21,95,600/- (रूपए आठ करोड़ इक्कीस लाख पन्चानवे हजार छः सौ मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 8,21,95,600/- (रूपए आठ करोड़ इक्कीस लाख पन्चानवे हजार छः सौ मात्र) को आहरित कर तत्काल जिलाधिकारी, बरेली के निर्वतन पर रखा जायेगा और यथा आवश्यकता समय-समय पर संबंधित पक्षो को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- कृपया भूमि के क्रय हेतु अपेक्षित अग्रेतर कार्यवाही जिलाधिकारी, बरेली से शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न कराने का कष्ट करें ताकि सिविल एन्क्लेव का समयवद्ध निर्माण सम्पन्न कराया जा सके।

6- जिलाधिकारी, बरेली द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् शासन एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को यथासमय सूचित किया जाएगा।

7- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 पूंजीगत लेखाशीर्षक "5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या- ई-7-244/दस-2018, दिनांक 21 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

पृ0सं0 :25/2018/538(1)/छप्पन-2018-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।। आडिट भवन टी0सी0-35-वी-1 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी, बरेली।
4- मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल बरेली।
5- जिलाधिकारी, बरेली।
6- अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व/भूमि अध्यासि अधिकारी, बरेली।
7- निदेशक, भूमि अध्यासि, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
8- नियोजन अनुभाग-4
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in